संख्या-31/2021/1231/22-2-2020-17(689)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री होराम सिंह, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-28-11-2020 दिनांक 09-12-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री होराम सिंह, नवीपुर, थाना-मुरादनगर, जनपद- गाजियाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 24/25.08.2007 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गंड़ासा, खुखरी, छुरी व चाकू से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1371/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 24.09.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.02.2012 को मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2020 तक 13 वर्ष, 00 माह, 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री होराम सिंह की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में विचार किया गया। बन्दी द्वारा 04 व्यक्तियों की हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जो सामूहिक नरसंहार की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। बन्दी अभी शारीरिक रूप से सबल है तथा उसे स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक है, इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी ब्रजपाल सिंह (बन्दी संख्या-48265) पुत्र श्री होराम सिंह, निवासी जनपद-गाजियाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2021/1231(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in